राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
321/2024	29.07.2024	23.06.2025

उनवानः

1. दिनेश पुत्र रामकुंवार
2. नवलकिशोर पुत्र रामकुंवार
3. रणबीर पुत्र रामकुंवार
4. सरस्वती पत्नी रामकुवार जातियान धाणका निवासीयान नीमराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

...........वादीगण

बनाम

1. सुरेन्द्र पुत्र किशोरीलाल
2. दशरथ उर्फ बबल पुत्र किशोरीलाल
3. शीला पुत्री किशोरीलाल
4. प्रदीप पुत्र किशोरीलाल
5. पूनम पुत्री किशारीलाल
6. सोनू पुत्र किशोरीलाल जातियान धाणका निवासीयान नीमराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
7. उप पंजीयक नीमराना तह0 नीमराना
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
9. भानी देवी पत्नी स्व. किशोरीलाल जाति धाणका निवासी नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1246 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम कुन्दनसिंहपुरा तह0 नीमराना के 1/2 हिस्से का खातेदार हम वादीगण एवं 1/2 हिस्से क खातेदार प्रतिवादी सं0 1 लगा. 6 व 9 है। लेकिन रिकार्ड मे प्रतिवादीगण के पिता व पति का विरासत का इंतकाल नही खोला गया है इसलिए रिकार्ड मे 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के पिता किशोरीलाल पुत्र रिछपाल के नाम से दर्ज है। आराजी मुतनाजा का मौके पर बाहमी बंटवारा हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता रामकुंवार व किशोरीलाल ने अपने जीवन काल मे अर्सा करीब 40 वर्ष पु कर लिय था बाहमी बंटवारा के मुताबिक 1/2 तरफ दक्षिण का हम वादीगण के पिता रामकंवार के हिस्से मे आया था तथा 1/2 हिस्सा तरफ उत्तर का प्रतिवादीगण के पिता किशोरीलाल के हिस्सेमे आया था दोनो बुजूर्ग उक्त बाहम बंटवारा के मुताबिक मौके पर काबज रहकर काश्त करते रहे तथा उनके बाद हम वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर बुजूर्गो द्वारा किये गये बाहमी बंटवारा के मुताविक काबिज है। प्रतिवादीगण को बाहमी बंटवारा के मुताबिक विधिवत रूप से आराजी मुतनाजा का तकासामा करवाने के लिए काफी बार कहा है लेकिन प्रतिवादीगण पहले तो हॅा भरते रहे लेकिन अब दिनांक 06.06.2025 को प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा के मुताबिक विभाजन करवाने से इंकार कर दिया और हम वादीगण के हिस्से की भूमि पर स्वंय कब्जा कर उसे अपना बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने की

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

धमकी दी है। इसलिए हम वादीगण आराजी मुतनाजा का विभाजन बुजूर्गो द्वारा किये गये बाहमी बंटवारा के मुताबिक करवाने के अधिकारी है। इसलिए आरजी मुतनाजा को बाहमी बंटवारा के मुताबिक विधिवत रूप से तकासमा किया जाने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द करने की प्रार्थना की गई।

वादीगण के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये ।

प्रतिवादीगण बावजूद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

तत्पश्चात वकील वादीगण के निवेदन पर, वादी के वाद पत्र को प्रारम्भिक रूप से दिनांक 03.02.2025 को डिक्री किया जाकर वाद वादीगण दिनांक 08.01.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर,तहसीलदार मॉढण को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो संबंधि राजस्व भाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2024 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे। लेकिन कुर्रे रिपोर्ट आने से पुर्व ही वकील वादी द्वारा प्रारम्भिक डिक्री मे संशोधान करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे न्याय हित मे स्वीकार किया जाकर दिनांक 02.06.2025 को संशोधित प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई।

तहसीलदार नीमराना द्वारा संशोधित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02.06.2205 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम कुन्दनसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 16.06.2025 को तैयार करवाकर दिनांक 17.06.2025 को इस न्यायालय मे पेश की गई । वकील वादीगण उपस्थित उपस्थित, तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 16.06.2025 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	दिनेश पुत्र रामकुंवार हि0 1/4 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार	1246/1	0.4250
2.	नवलकिशोर पुत्र रामकुंवार हि01/4 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
3.	रणबीर पुत्र रामकुंवार हि01/4 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
4.	सरस्वती पत्नी रामकुंवार हि01/4 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार	कुलकिता–1 कुल रकबा 0.4250 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	सुरेन्द्र पुत्र किशोरीलाल हि0 1/7 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार	1246/2	0.4250
2.	दशरथ उर्फ बबल पुत्र किशोरीलाल हि0 1/7 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
3.	प्रदीप पुत्र किशोरीलाल हि0 1/7 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
4.	सोनू पुत्र किशोरीलाल हि0 1/7 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
5.	शीला पुत्री किशोरीलाल हि0 1/7 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
6.	पूनम पुत्री किशोरीलाल हि0 1/7 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार	कुलकिता–1 कुल रकबा 0.4250 है0	
7.	भानी देवी पत्नी किशोरीलाल हि0 1/7 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	दिनेश पुत्र रामकुंवार हि0 1/8 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार	1246/3	0.06 गैर मुमकिन रास्ता
2.	नवलकिशोर पुत्र रामकुंवार हि0 1/8 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
3.	रणबीर पुत्र रामकुंवार हि0 1/8 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
4.	सरस्वती पत्नी रामकुंवार हि0 1/8 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
5.	सुरेन्द्र पुत्र किशोरीलाल हि0 1/14 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
6.	दशरथ उर्फ बबल पुत्र किशोरीलाल हि0 1/14 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
7.	प्रदीप पुत्र किशोरीलाल हि0 1/14 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
8.	सोनू पुत्र किशोरीलाल हि0 1/14 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
9.	शीला पुत्री किशोरीलाल हि0 1/14 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
10.	पूनम पुत्री किशोरीलाल हि0 1/14 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
11.	भानी देवी पत्नी किशोरीलाल हि0 1/14 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार	कुल किता–1 कुल रकबा 0.06 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
321/2024	29.07.2024	23.06.2025

उनवान:

1. दिनेश पुत्र रामकुंवार
2. नवलकिशोर पुत्र रामकुंवार
3. रणबीर पुत्र रामकुंवार
4. सरस्वती पत्नी रामकुवार जातियान धानका निवासीयान नीमराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। ....वादीगण

वनाम

1. सुरेन्द्र पुत्र किशोरीलाल
2. दशरथ उर्फ बबल पुत्र किशोरीलाल
3. शीला पुत्री किशोरीलाल
4. प्रदीप पुत्र किशोरीलाल
5. पूनम पुत्री किशारीलाल
6. सोनू पुत्र किशोरीलाल जातियान धानका निवासीयान नीमराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
7. उप पंजीयक नीमराना तह0 नीमराना
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
9. भानी देवी पत्नी स्व. किशोरीलाल जाति धानका निवासी नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। ....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 16.06.2025 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	दिनेश पुत्र रामकुंवार हि0 1/4 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार	1246/1	0.4250
2.	नवलकिशोर पुत्र रामकुंवार हि01/4 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
3.	रणवीर पुत्र रामकुंवार हि01/4 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
4.	सरस्वती पत्नी रामकुंवार हि01/4 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार	कुलकिता–1 कुल रकबा 0.4250 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	सुरेन्द्र पुत्र किशोरीलाल हि0 1/7 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार	1246/2	0.4250
2.	दशरथ उर्फ बबल पुत्र किशोरीलाल हि0 1/7 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
3.	प्रदीप पुत्र किशोरीलाल हि0 1/7 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
4.	सोनू पुत्र किशोरीलाल हि0 1/7 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
5.	शीला पुत्री किशोरीलाल हि0 1/7 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार	कुलकिता–1 कुल रकबा 0.4250 है0	
6.	पूनम पुत्री किशोरीलाल हि0 1/7 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
7.	भानी देवी पत्नी किशोरीलाल हि0 1/7 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1	दिनेश पुत्र रामकुवार हि0 1/8 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार	1246/3	0.06 गैर मुमकिन रास्ता
2	नवलकिशोर पुत्र रामकुवार हि0 1/8 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
3	रणबीर पुत्र रामकुवार हि0 1/8 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
4	सरस्वती पत्नी रामकुवार हि0 1/8 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
5	सुरेन्द्र पुत्र किशोरीलाल हि0 1/14 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
6	दशरथ उर्फ बबल पुत्र किशोरीलाल हि0 1/14 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
7	प्रदीप पुत्र किशोरीलाल हि0 1/14 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
8	सोनू पुत्र किशोरीलाल हि0 1/14 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
9	शीला पुत्री किशोरीलाल हि0 1/14 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
10	पूनम पुत्री किशोरीलाल हि0 1/14 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार		
11	भानी देवी पत्नी किशोरीलाल हि0 1/14 जाति धाणका सा0 नीमराना खातेदार	कुल किता–1 कुल रकबा 0.06 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)